

कार्यालय: जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा।

निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01 वर्ष 2019-20

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

एतद् द्वारा मत्स्य स्पान उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019-20 में कृषि, पशुपालन एव सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के राज्यादेश सं० 20 दिनांक 25.06.2019 के द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत जलाशयों के छाड़नो/ In Situ मे एवं निबंधित मत्स्य बीज उत्पादकों को भारतीय मेजर कार्प/कार्मन कार्प/ग्रास कार्प का मत्स्य स्पॉन आपूर्ति किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ इच्छुक मत्स्य स्पान उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं से स्पॉन आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 24.10.2019 के अपराहण 02:00 बजे तक जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा में स्वीकार किया जायेगा एवं उसी दिन अपराहण 04:00 बजे तक निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा आमंत्रण हेतु आवश्यक शर्तें www.simdega.nic.in एवं जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

ह०/—

जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिमडेगा।

कार्यालय : जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा।
निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01 वर्ष 2019-20
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के राज्यादेश सं० 20 रा०(विभाग) दिनांक 25.06.2019 के द्वारा सिमडेगा जिले के जलाशयों के छाड़न में स्पॉन संचयन हेतु एवं प्रशिक्षित निजी बीज उत्पादकों/वितरकों को मत्स्य स्पॉन आपूर्ति का आदेश प्राप्त है। इस प्रयोजनार्थ इच्छुक मत्स्य स्पॉन उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 24/10/2019 को 02:00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद निविदा जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा में स्वीकार किया जायेगा।

आवश्यक शर्तें

1. स्पॉन आपूर्तिकर्ता के पास मत्स्य हैचरी एवं हैचरी के निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। स्थानीय मत्स्य हैचरी (विभाग द्वारा अनुदानित पर निर्मित) संचालक को समान मूल्य पर प्राथमिकता दी जाएगी।
2. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को अपने मत्स्य हैचरी का विवरण एवं उपलब्ध ब्रुडर का आँकड़ा देना अनिवार्य होगा।
3. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को मत्स्य हैचरी का प्रति उत्पादन के क्षमता से अवगत करना अनिवार्य होगा।
4. आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन में कम से कम 40% कतला होना अनिवार्य होगा।
5. स्पॉन की आपूर्ति ऑक्सीजन पैकिंग सहित पॉलिथिन बैग पैकिंग में जिला मुख्यालय या अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न प्रखण्डों में निर्धारित कलस्टर स्थल तक जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहुँचा कर करना होगा।
6. स्पॉन की आपूर्ति प्रति ऑक्सीजन बैग में न्यूनतम 30,000 से 50,000 तक मत्स्य स्पॉन की पैकिंग स्वीकार की जाएगी।
7. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अग्रधन राशि के रूप में मो० 60,000/- (साठ हजार रू० मात्र) की बैंक ड्राफ्ट जो अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से सिमडेगा में भुगतये होगा, संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता को पैन नंबर एवं वाणिज्यकर विभाग द्वारा पंजीयन (GST) की छायाप्रति एवं विगत तीन वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में स्पॉन आपूर्ति का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव एवं ब्यौरा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. यदि प्रथम सफल निविदादाता जो स्पॉन आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है तो उस स्थिति में अग्रधन राशि जब्त कर ली जाएगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जाएगा।
11. निविदादाता को स्पॉन दर (परिवाहन एवं पैकेजिंग शुल्ब सहित) प्रति लाख की दर से अंकित करना होगा। सरकारी/गैर सरकारी हैचरी से अधिकतम 550.00 रू० प्रति लाख की अनुमानित दर निर्धारित है। सफल निविदादाता को स्पॉन आपूर्ति के समय स्वीत निविदा राशि का 10% (दस प्रतिशत) राशि निजी मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा एवं शेष 90% राशि सरकार द्वारा देय होगा।
12. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता : जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा।
13. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : 24/10/2019 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
14. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 24/10/2019 को 04:00 बजे अपराह्न तक।
15. निविदा प्राप्ति का स्थान : जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा।
16. बिना कारण बताए अद्योहस्ताक्षरी के पास निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ह०/-
जिला मत्स्य पदाधिकारी,
सिमडेगा।